

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा प्रकरण संख्या : 42/2014 ई.दी. विजय कुमार बनाम अरुण कुमार (3/3)	नम्बर व अहकाम हुकम की में जारी
	आदेश दिनांक 08.09.2025	

पत्र के पैरा संख्या 3 व 4 में प्रस्तावित अतिरिक्त विवाद्यकों का विरचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर निम्न अतिरिक्त विवाद्यक "1क" जोड़ा जाता है :-

"1क. आया प्रतिवादी संख्या 1 ने संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता होने के कारण विवादित जायदाद का विनियमितकरण का पट्टा नगरपालिका नाथद्वारा से अकेले अपने नाम पर बनवाया? ——वादी

पत्रावली वारंते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 16.9.25 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजस्थान)

16.9.25 अरुण कुमार प्ररीटने उपस्थित / अतिरिक्त
वादी ने प्रार्थनापत्र पेश की जा रही कि
जि उक्त विवाद्यक के वा में आवक
वर्ग होने से उक्त जल उपस्थित रही
है। साथ ही वे हेतु अरुण कुमार
प्रकार कपल. वसुंधरा जी के पति
अरुण कुमार (अपन वादी) के विषय में
बनाम हिन्दू में साक्ष्य वादी हेतु अतिरिक्त
अरुण कुमार पेश जाता है। पत्रावली का
साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 20.9.25 को
पेश है।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजस्थान)